



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक संख्या:लो०आ०वि०/शीक्षा०/३१६३/२०२१

दिनांक: २५-११-२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
 डॉ०रा०लो०अवधि विभिन्न
 अयोध्या।

प्राप्तक:

विश्व विजय प्रताप सिंह
 पुत्र श्री अजय प्रताप सिंह

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उच्चमिता विषय में पी-एच०डी० उपचि हेतु शोध कार्य के लिये ज्ञाप द्वारा प्रस्तुत प्रताप के राबन्न ने शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) /विषय संयोजक ली बैठक दिनांक 29.10.2021 को संस्थुति एवं कुलपति नहोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित पिल्ला जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० हिमांशु शेखर सिंह, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्योगोत्तर विभाग, डॉ०रा०लो०आ०वि०वि०, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सम्मान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्सन्दर्भी आरोत्तर यार्थवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण ली दियि के दो माह के अन्दर जमा लाएं। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जगा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने से आपको अनिष्टा गान्ते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की लार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुफलवत्ता को राबन्न ने आदेत्व पत्र प्रस्तुत जरते समय इपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के दूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर रैक्षणिक पिल्ला को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जगा करने की न्यूनतात्त्व अवधि 30 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जगा किये जाने हेतु निर्दिष्ट अवधि का अनग्रण शोध पंजीकरण दियि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जाएगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छात्रावी के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अव्यासारित विस्तृत शोध प्रगति अच्छा रु० 5000/- सेमेस्टर (छात्रावी) शुल्क (ब्रूल ०४ छात्रावी) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रांगता पिल्ला में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एच०डी० ग्रन्थादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: प्रो० हिमांशु शेखर सिंह, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उच्चमिता विभाग, डॉ०रा०लो०आ०वि०वि०, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

५०।

उप-कुलसचिव

डॉ० रामगणोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)



पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/ शैक्ष०/ ३७८/२०२१

दिनांक: २६.११.२०२१

प्रेषक :

चप-कुलसाधिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०ला०अयधि विप्रिया,
अयोध्या।

प्रापक:

शिवांगी अवस्थी
पुत्री श्री राम चन्द्र अवस्थी

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विषय में डॉ०-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावर्त के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक ली बैठक दिनोंक २९.१०.२०२१ की संतुष्टि एवं लुतपति महोदय के अनुगोदनोपरान्त निनानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० अशोक शुक्ला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०ला०अ०वि०, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सम्यात्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अन्तर लाभवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० ३,०००/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो गाह के अन्दर जमा करे। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपको अनियोगी नामों द्वारा अवश्यक निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संलग्न की अनुमतिशाला के रान्वन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते साथ शपथ पत्र (तोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनियार्थत नामांकन संख्या प्राप्त कर ईक्सायिल दिभाग को उपलब्ध कराये।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि ३० माह (३ वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में उद्दिक्ताम अवधि ७२ माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आवणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/ शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अप्रसारित वित्ती शोध प्रगति जारी रखा रु० ५०००/- सेमेस्टर (छमाही) शुल्क (कुल ०४ छमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनियार्थ होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आवधि के संगत विनियम में विहित ग्राहानी के अन्तर्गत डॉ० रामगणोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी०-एच०डी० अयोध्या-२०१७ के अनुसार होगा।

चप-कुलसाधिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: प्रो० अशोक शुक्ला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०ला०अ०वि०, अयोध्या।
2. प्रोफेसर, डॉ०डी०पी० को इस आशय रो प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की डेवलपमेंट पर जद्दशित करने ला कर्ण।

चप-कुलसाधिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उप्र०)

पत्रक संख्या:लो०अ०वि०/शैक्ष०/३७३/२०२१

दिनांक: २५.१०.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रामलो०आवधि विभिन्न,
अयोध्या।

प्रापक:

सौरभ यादव
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उच्चनिता विषय में पी-एचडी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सामने ने शोध उपाधि समिति (आर०ड००सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक २९.१०.२०२१ की संतुष्टि एवं कुलपति महोदय के अनुगांठनोपरान्त निमानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है।

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० अशोक शुक्ला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उच्चनिता विभाग, डॉ०रामलो०अ०वि०, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति को अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तरात वालन लगे, ताकि उत्तमतम् अद्वेतार आर्यवाही सुनिश्चित हो जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० ३,०००/- पत्र निर्णीतीकरण की हिति के दो माह के अन्दर जागे करें। यदि निर्धारित रात्यावधि में पंजीकरण शुल्क जना नड़ी किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपको अनिच्छा नामते द्वारा अव्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही हो जाएगी।
2. यदि नामांकन रात्यावधि के अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत घरटे लम्य रूपध पत्र (टोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जगा करने के दूर्व अनिवार्यत नामांकन रात्यावधि का अनावृत्त शोध पंजीकरण गिभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा लगने की न्यूनतम उपाधि ३६ माह (३ वर्ष) एवं रामान्य -रिसेप्शनियों में अधिकतम अवधि ७२ माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जगा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगाम शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जगा लगने की तिथि) से किया जावेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थीनी को इत्येक छनाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अद्वारित शोध प्रगति आख्य रु० ५०००/- रोमेस्टर (छगाही) शुल्क (कुल ०५ छगाही) को लाभ विश्वविद्यालय में जमा लगन अनिवार्य होगा।
5. उपरान्त शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान बांधोग के रांगत विनियम ने विनित प्रबन्धों के अनावृत्त डॉ० रामननोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एचडी० अध्यादेश-२०१७ के अनुसार होग।


उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: प्रो० अशोक शुक्ला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उपनिता विभाग, डॉ०रामलो०अ०वि०, अयोध्या।
2. प्रोवान्स, ईण्ठो०पी० को इस आवधि से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की देवसाइट पर प्रदर्शित करने का लक्ष्य यहै।


उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उप्र०)

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/ ईक्ष०/३१७२/२०२१

फ़ॉरमाय नं०-०५२७६-२४६९५७
०५२७८-२४६२२३
ई-मेल- rmlau.register@gmail.com

दिनांक: २६.११.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०ला०अवधि विंवि०,
अयोध्या।

प्राप्तक:

राहुल कुमार
पुत्र स्व० नन्दन राम

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विषय में प्र०-एच०डी० उनाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के राजन्त्र में शोध उचावि रागीति (आर०ल०उ०) / नियम संगोष्ठक की वैदिक दिनों २९.१०.२०२१ की सन्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निमानुसार शोध निर्देशक नागित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्र० अशोक शुभला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०ल०अ०वि०वि०, अयोध्या।

इसे रापायि समिति की अनुशासा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों जा अनिवार्य रूप से समर्थनात्मक गालन करे, ताकि तत्सन्दर्भी अधितर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्दीकरण की तिथि के दो नाह के टन्दर जाम करे। यदि निधिरित समयावधि ने पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में अपर्णी अनिवार्य गालन हुए अवश्यक निररत करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुगलवता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (तोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की व्यूनतान अवधि ३० गाढ (३ वर्ष) एवं सामान्य एरिस्टियो में अधिकतम अवधि ७२ माह (५ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु नियासित अवधि का आगान शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से लिया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी जो इत्येक छनाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अनुलाभित दिस्तृत शोध प्राप्ति अवध्या रु० ५०००/- सेमेस्टर (७.माही) शुल्क (कुल ०४ छनाही) के ताथ विश्वविद्यालय में जमा करने अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत चिनियम में विहित आवधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एच०डी०प अध्यादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

(Signature)
उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: प्र० अशोक शुभला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०ल०अ०वि०वि०, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, इ०ड००५० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय वा वेदांग नर प्रदानीत करने का कष्ट करें।

(Signature)
उप-कुलसचिव



डॉ. शम्मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उप्र०)

प्रदान कर्ता: लो०३०१० / शीष्या० / ३९७। / २०२१

दिनांक: 26.11.2021

ପ୍ରକାଶକ :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०ला०अयध वि०वि०,
लघोध्या।

प्राप्तिः

अरुण कुमार मिश्र
पुत्र श्री—

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निदेशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विषय में पी-एवडीप उमाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आरडीपसी) / विषय संयोजक नैतक दिनांक 29.10.2021 की संतुष्टि एवं कलमपति महोदय के अनुगोदनोंवाले निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

झोप निर्देशक का नाम: प्रैरु अशोक शर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उचिति विभाग, डॉउर0लो0अ0यिऽवि0, अयोध्या

शोध उपायि समिति की अनुरांगा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों वा अनिवार्य रूप से रागवाच्चार्गत प्रबन्ध करे ताकि उत्तम्यन्वयी अध्येतर कार्यपालि सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्ड हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पर निर्मतीकरण जी हिंदि के दो मह के अन्दर जना करे। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्ड करने में आपकी शानिच्छा मानते हुए अस्थर्थन निरसन करने को जारीवाही की जाएगी।
 2. यदि नामांकन संख्या के अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पर प्रस्तुत करते समय शास्त्र पत्र (नोटरी) दिचा गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व शानिवाहत नामांकन संख्या प्राप्त कर ईकाइगी विभाग को उपलब्ध कराये।
 3. शोध प्रबन्ध जमा करने की चूनरात अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य पारिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगामी शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
 4. शोधार्दी/शोधार्थिनी को प्रलेक जनाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अनुरागित विस्तृत शोध प्रगति आड्या रु० 5000/- सेमेटर (छ.नाहीं) शुल्क (बुल ०४ छ.माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
 5. आजका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सात विनियम में लिखा प्रावधानों के अन्तर्गत हैं। रामानुजेह लोडिंग कंपनी विश्वविद्यालय पै-एच०डी० अध्येदा-२०१७ के अनुसार ठोगा।

५०१

प्रतिक्रिया दिस्त्रिब्युट नो ग्राहनार्थ वह आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि: मन्महात्मा गांधीनाम इस जारीरक बनाया हुआ छापा।
 1. शोध प्रिफेशनल: प्रो० अशोक शुक्ला, व्यवसाय ग्रन्थ एवं उद्यगिता विभाग, लौला०लौ०आ०विठ्ठि०, अयोध्या।
 2. ब्रोडागर, ई०डै०पी०प का इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को पिण्डविद्यालय की गेहराई पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

उप-पूर्वसंचिक



डॉ. रामनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उप्र०)

पत्रांक संख्या लो०आ०षिठ / ईस्ट० / ३९६७ / २०२१

प्रिन्टेड: 36.11.2021

४५८

उप-कुलसविव (शैक्षणिक)
डॉराठनाओवध विठ्ठी।
अगोच्चा।

प्राप्तः

प्रदीप चूमार
पत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य क्लेत् शोध निदेशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विषय में ५००००००० रुपये हेतु शोध कार्य के लिये आप हार प्रशंसित प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपायि समिति (आरओडीएसी) / विषय संबंधीक को ४०० दिनोंक 29.10.2021 की संतुष्टि एवं जल्दी गहोर छोध निर्देशक नामित किया जाता है।-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० डिमांडु ईश्वर सिंह, अवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विषय, डॉरमलो०आ०वि००५०, अयोध्या।

शेष उपर्युक्त समिति की अनुसंधान के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों जा अनिवार्य ६५ से लम्बान्तर्गत ग्रन्थों को तकि तत्सन्तव्यी अवेतर के विवाही सन्तुष्टिकृत की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹० 3,000/- एवं निर्गतीकरण की तिथि के दो मह के अन्दर जमा हवें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में अपवृत्ति उनिच्छा मानते हुए अन्वर्धत निरसन करने वाले कार्यगाठी की जाएंगे।
 2. यदि नामांकन संख्या वाली अनु-लक्ष्णता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत लारते समय शपथ पत्र (टोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व उनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्ता वर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
 3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिरिक्तियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जगा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का उत्तरान शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जगा करने की तिथि) से किया जायेगा।
 4. शोधार्थी/शोधार्थिनी लोग प्रत्येक छन्दाली के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेनेटर (छन्दाली) शुल्क (कुल ०४ छन्दाली) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनियाम होगा।
 5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान अनुग्रह के संगत टिप्पेचम ने पिछित प्रक्षमों के अन्तर्गत छोटे रानभूदर लोहिया अख्य विश्वविद्यालय भी—एचडब्ल्यूएच अयादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

६५०

प्रतिलिपि: निम्नलिखित परो संघनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाणी हेतु प्रेषित।

उप-कृलखित

डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या:लो०अ०विं०/श०००/३१६८ /२०२१

दिनांक: २५.११.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०ला०अवधि विं०विं०,
अयोध्या।

प्रापक:

नेहा गौरव सिंह
पुत्री श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विषय में पी-एव०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आज डाया प्रस्तुत प्रस्ताव के रायकर्ता ने शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय रायोजक की बैठक दिनांक २९.१०.२०२१ की संतुष्टि एवं कुलपति महोदय के अनुग्रहनोन्मताना निम्नानुलाल शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० अशोक शुभला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो०अ०विं०विं०, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशासा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से उन्मानार्थ गतिशीलता करे, ताकि तत्सम्बन्धी अधिकारी विषयवाची सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० ३,०००/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्तर जगा करे। यदि निर्गती रागयायथि ने पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मनते हुए अभ्यर्थन निरसन करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नानाकरन राख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र ब्रह्मस्तुत करते समय शपथ वत्र (नोटरी) किया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्य नामांकन राख्या प्राप्त कर इंडिगिक विभाग को उपलब्ध कराये।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की अनुग्रहन अवधि ३६ माह (३ वर्ष) एवं समान्य परिस्थितियों ने अद्वितीय अवधि ७२ माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जाएगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी के प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक हृत्रा अग्रसारित विरहुत शोध प्रगति आख्या रु० ५०००/- रोमेस्टर (छमाही) शुल्क (कुल ३६ छमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्राप्तियों के अन्तर्गत डॉ० रामगनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एव०डी० बध्या देर-२०१७ के अनुसार होगा।

Dr. Ashok Shubhala
उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: प्रो० अशोक शुभला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो०अ०विं०विं०, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०प०० पो इस लाइव से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की ऐसाइट पर प्रदर्शित करने का काट लाए।

उप-कुलसचिव

डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या:लो०आ०वि०/शैक्ष०/३१६८/२०२१

दिनांक: २६.११.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शीक्षणिक)
 डॉ०रामलो०अयधि वि�०वि०,
 अयोध्या।

प्राप्तक:

शम्मी कुमार
 पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उच्चनिता विषय ने पो-एच०डी० उपायि हेतु शोध कार्य के लिये अप हारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्वाद में शोध उच्चाधि समिति (आर०डी०र्सी०) /विषय संटीजक की वैठक दिनांक २९.१०.२०२१ की संलग्नति एवं कुलमपति महोदय के अनुमोदनोगतान्ता निमानुसार शोध निर्देशक नमित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० अशोक शुल्ला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उच्चनिता विभाग, डॉ०रामलो०आ०वि०वि०, अयोध्या।

शोध उपायि समिति द्वी शुल्लांसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सन्यान्तर्गत पालन करे, तकि तत्समान्त्रो अग्रेशर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

१. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रुप ३,०००/- पत्र निर्णीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा जरें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपली अनिवार्य मानते हुए अमर्धन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
२. यदि नामांकन संख्या की अनुमत्वात्ता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरै) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शीक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
३. शोध प्रबन्ध जमा करने की अनुमति अवधि ३८ माह (३ वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियें में अधिकतम अवधि ७२ माट (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगामन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
४. शोधार्थी/शोधार्थिनी जो इत्येक छन्दाली के उपरान्त शोध निर्देशक हारा अग्रस्तार्ता विस्तृत शोध प्रगति आख्या रुप ५,०००/- सेमेस्टर (५ माही) शुल्क (कुल ०४ छन्दाली) के तात्त्व विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य दोगा।
५. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आदोग ले संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अव्यादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

(S)
उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. शोध निर्देशक: प्रो० अशोक शुल्ला, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उच्चनिता विभाग, डॉ०रामलो०आ०वि०वि०, अयोध्या।
२. प्रोग्रामर, ई०डी०र्सी० को इस अशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित जरने का कष्ट लरें।

(S)
उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उत्तराखण्ड)

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/शीक्षा०/ ३१६६/२०२१

दिनांक: २५.११.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०ला०आवधि विभिन्न०
अयोध्या।

प्रापक:

प्रदीप कुमार चौधरी
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं सद्यमिता विभाग में पी-एचडी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिए आप हारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि राशिति (आरा०डी०सी०)/विषय संबोधक की दैत्यक दिनोंक २९.१०.२०२१ की संस्कृति इयं कुलभूति भूदेव के अनुमोदनोपचाना निम्नानुसार शोध निर्देशक निर्मित किया जाता है-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० शीलेन्द्र कुमार वर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो०अ०वि००, अयोध्या।

शोध उपाधि लभिति की अनुमति के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सन्यान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्सन्दर्भी अत्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० ३०००/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जना करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जना नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिवार्य मान्यता द्वारे क्षम्यवर्णन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय इपथ पत्र (लोडरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की व्यूनतम अवधि ३६ माह (३ वर्ष) एवं सानाच्य परिस्थितियों में अदिकतम अवधि ७२ माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित डाकविका का भागणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जाएगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छनाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अप्रसरित पिरपूरा शोध प्रगति अख्या रु० ५०००/- सेमेस्टर (छमाही) शुल्क (कुल ०८ छमाही) के राशि विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनेयम में निर्दित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एचडी० अध्यादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

(अपील)
उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक प्रो० शीलेन्द्र कुमार वर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो०अ०वि००, अयोध्या।
2. ओपर मर, ई०डै०पी० को इस आशय से प्रेरित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का काष्ट करें।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या:ल०अ०वि०/ शैक्ष०/ ३१६८/ २०२१

दिनांक: २६.११.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (रीक्षणिक)
डॉ०रा०ला०अवधि विभिन्न,
अयोध्या।

प्रापक:

रवि प्रकाश पाण्डेय
पुत्र श्री.....


विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यक्तिगत प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाय में पी-एचडी० उपाधि हेतु शोध कार्य के हिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में ज्ञाधि उपाधि उभिति (आ०००३००३००) / विषय संयोजक की बैठक दिनोंक 29.10.2021 की संस्थापने एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान् निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० हिमांशु शेखर सिंह, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यनिता विभाग, डॉ०रा०ला०अ०वि०विभिन्न,
अयोध्या।

शोध उपाधि समिति ली अनुशंसा के बालोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सम्यान्तर्ता पालन करें, ताकि तत्त्वावधी उपयोग कार्यवाही रुक्नेश्वित बी जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित स्वयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिवार्य नानतो हुए अन्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (गोटी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन राख्या ग्राह्य कर रीक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि ३६ माह (३ वर्ष) एवं सामान्य पर्सिस्टेंटियों में अधिकतम अवधि ७२ नाइ (६ वर्ष) होंगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित उवधि का अग्रणी शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जाएगा।
4. शोधार्थी/ शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसरित विस्तृत शोध प्रनति अख्या रु० ५०००/- रोगेरदर (छन्नाह) शुल्क (जुल ०४ छमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा जरन अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुसान आयोग के संगत विभाग में विहित आवधानों के अन्तर्गत डॉ० रामननोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एचडी० अयोध्या-2017 के अनुसार होगा।



उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक प्रो० हिमांशु शेखर सिंह, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यनिता विभाग, डॉ०रा०ला०अ०वि०विभिन्न, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर, ई००३००३०० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र लो विश्वविद्यालय की देवसाइट पर प्रदर्शित करने का काढ करें।



उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / ३१६४ / २०२१

दिनांक: २६. ११. २०२१

४५८

उप-पालसंघिय (शैक्षणिक)

ਡੌਂਰਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧੁ ਵਿਧਿ।

अयोध्या ।

मानव

कृष्ण

पंचमी श्री

पिष्ठवः शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटना पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विषय में पी रक्क०डी० रुपायि हेतु शोध कार्य के लिये आप डुरा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध रापायि रागिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 29.10.2021 की संस्थानि एवं अलानि संचेदय के अनमोदनोपराना निम्नानुसार शोध निर्देशक गणित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० हिन्दू शेखर सिंह, व्यष्टिय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉक्टरलोअविडिओ, भारत।

शोध उपायि सामेति की अनुसंदेश के आलोक ने निन्दिति निर्देशों का व्यापार्य रूप से समर्थन ग्रहण करे, तकि प्रत्याबन्धी अपेक्षा कार्यवाही सनिधित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि ले दो नह के अन्यर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिष्टा मानने हुए अन्यर्थन निरस्त करने ली कार्रवाही की राएगी।
 2. यदि नामांकन संख्या के अनुमतिलभाता के सम्बन्ध में अवेदन पत्र प्रस्तुत करते रागत शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्ण अनियार्थतः नामांकन संख्या प्राप्त कर इंडिएक्टिव विभाग को उपलब्ध जरायें।
 3. शोध प्रबन्ध जमा करने की अनुत्तम अवधि 36 गाह (३ वर्ष) एव सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किए जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगतन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
 4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही ले उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अवसारित विस्तृत शोध प्रगति अख्या रु० 5000/- सेमेस्टर (छमाही) शुल्क (प्रति ०५ छमाही) के साथ विश्वविद्यालय ने जना चाहता अनियार्य होगा।
 5. आगका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ले संगत विविधान में विद्वित प्रावश्यनों के अन्वर्गित रु० ३००० रुपयानोहर लोडिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अव्यवेदा-२०१७ के अनुसार होगा।

उप कल्पित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संघर्षार्थी एवं आपश्यक लार्यपाणी हेतु प्रेषित।

- शोध निर्देशक: प्रो० हिंनांशु शंखर सिंह, व्यष्टिसाध प्रबन्ध एवं उद्यमिता पिमाण, डॉ०रा०ल००५०७०५००८०, ३-धोधा।
 - प्रोग्राम के इस आशय से प्रेरित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के कारण।

उप काल संदिग्ध



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या:लो०अ०वि०/ ई०१०/ ३९६२/२०२१

दिनांक: २६.१.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रा०लो०अवध विभिन्न,
अयोध्या।

प्रापक:

मनीष कुमार सिंह
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवेदन पत्र।

बवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग में पी-एचडी० उभाषि हेतु शोध कार्य के लिये आप हारा प्रस्तुत प्रत्याह के रामवन्ध में शोध उपायि रामिता (आरएलो०सी०) /विषय लंघोजक को दैत्य दिनांक २८.१०.२०२१ की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनाप्राप्त निमानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है।

शोध निर्देशक का नाम: प्रो० ईलेन्ड कुमार वर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो०अ०वि०, अयोध्या।

शोध उपायि लमिती की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सम्बन्धित घालन करे, ताकि तत्त्वावधी अद्वेत वार्यवाही सुनिश्चित ही जा सके।

१. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० ३,०००/- पत्र निर्दीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा लाएं। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने से आपकी अनिवार्य मनते हुए आवधन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
२. यांदे नामांकन संख्या वी अनुप्रलङ्घना के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटर) दिया रखा है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के दूर अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
३. शोध प्रबन्ध जगा करने की व्यूनतम अवधि ३६ माह (३ वर्ष) एवं ज्ञानान्व परिस्थितियों में अधिकतम अवधि ७२ नाह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जगा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जगा करने की तिथि) से किया जायेगा।
४. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छनाही के उपरान्त शोध निर्देशक हारा अग्रस्तरित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० ५०००/- सेमेस्टर (छनाही) शुल्क (छुल ०४ छनाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
५. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रायधानों के अन्तर्गत डॉ० रामननोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय गी-एचडी० अध्यादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. शोध निर्देशक प्रो० ईलेन्ड कुमार वर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो०अ०वि०, अयोध्या।
२. प्रोफेसर, हॉली०पी० को इस आवाय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का काम करें।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उप्र०)

पत्रांक संख्या:लो०आ०वि०/शैक्ष०/उ०८० / 2021

दृष्टिगत नं०-05278-246957
05278-248223
ई-मेल- rmlaueregistrar@gmail.com

दिनांक: ३०.१०.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
डॉ०रामलालावध विभिन्न,
अयोध्या।

प्रापक:

अग्निल कुमार
पुत्र श्री.....

पितृयः शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभव में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रताप के सन्दर्भ में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय न्यौजिक को बैठक दिनोंक 29.10.2021 की संस्थानित एवं कुलपति नहोदय के अनुनादनोपरान्त निम्ननुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है-

शोध निर्देशक का नाम: ड्र० शीलेन्द्र कुमार दर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रामलो०आ०वि०विभि०, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सम्बन्धित पालन करें, ताकि तत्समयस्थी अपेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो मह के अन्दर जना करें। यदि निर्धारित तारीखपरि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में अपको अनिकाल नागर्ते हुए अध्यर्थक निरसा करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में अवेदन पत्र प्रश्नाता करते समय जापथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जना करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतार अवधि ३५ नह (३ वर्ष) एवं सामान्य परिरिक्तियों में आधिकतम अवधि ७२ माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जना किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आग्रह न शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जावेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छात्रालय के उपरान्त शोध निर्देश के द्वारा अप्राराखित विच्छुल शोध प्रगति आख्या ₹० 5000/- सेमेस्टर (छ.माही) शुल्क (युल ०४ छागाही) के साथ विश्वविद्यालय में जना करना अनिवार्य होगा।
5. आग्रह शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आवोग के तांगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० रामननोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: ड्र० शीलेन्द्र कुमार दर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रामलो०आ०वि०विभि०, अयोध्या।
2. प्रोग्राम, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कानून जरूर।

उप-कुलसचिव



डॉ. राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उप्र०)

पत्रांक संख्या:लो०आ०वि०/शैक०/ ३१६० /२०२१

दिनांक: २६.१०.२०२१

प्रेषक :

उप-कुलसचिव (वैदाणिक)
डॉ.रामलो०आ०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

Rishabh Vikram Singh
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

ब्यवस्थाएँ एवं उद्यमिता विभाग में शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के राबूद्ध में होंगे उपाधि रामिति (आर०जी०सी०)/विषय संयोजक की दीर्घि किंवा 29.10.2021 ली जानुवारी एवं कृतागति घटोदय के अनुमोदनोपरान्त निमानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ. रमा रोहित सिंह, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ.रामलो०आ०वि०, अयोध्या।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से सम्बन्धान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्सम्बन्धी अधिकार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतोकरण की हिति के दो नाह के अन्दर जमा करें। यदि निर्गत रसमालि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य कर्त्ता में आपकी अनिच्छा नामतः हुए अस्तर्थन निरस्त करने की लार्याही की जाएगी।
2. यदि नामांकन राज्यांतर के राबूद्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शायद पत्र (गोटरे) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की व्यूनतन अवधि ३६ माह (३ वर्ष) एवं रामान्य परिशिष्टों में अधिकतम अवधि ७२ माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की हिति) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक उमाली के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अवशारित विस्तृत शोध अनुसारी आवश्यक लग्जरी लग्जरी (जमाही) शुल्क (वृ० ०४ जमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान अयोग के संगत विनियम में दिहित प्राप्तियों के अन्तर्गत डॉ. रामननोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय पी-एच०वि० अध्यादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

उप-कुलसचिव
[Signature]

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 1. शोध निर्देशक डॉ. रमा रोहित सिंह, व्यवसाय प्रबन्ध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ.रामलो०आ०वि०, अयोध्या।
 2. प्रोफेसर, इ०डी०इ० जो इस लाभव रो प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेदसाहित पर प्रदर्शित करने का लक्ष्य करें।

उप-कुलसचिव
[Signature]